

13/12/16

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण पत्रावली दिनांक. 12.12.16 को पेश हो।

13.12.16

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण पत्रावली दिनांक. 13.12.17 को पेश हो।

13/2/17

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण पत्रावली दिनांक. 20/3/17 को पेश हो।

21.3.17 कि 20/3/17 का अवकाश घोषित होने से

पत्रावली पेश हुई।  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण पत्रावली दिनांक. 25.5.17 को पेश हुई।  
राठर

उपखण्ड अधिकारी, देसरी (पाली)

29/5/17

(राजस्थान लोक अदालत कैम्प सांखरी)  
वादी कुशुभा प्रतिवादी उदय  
वादी उता एवं प्रतिवादी उता के  
हिस्से के कुकुप विभाजन की डिडी  
आदि की जाती है किस्तूर निर्दिष्ट  
पुपक से लिये जाया जाकर लिये जा  
विभाजित / विभाजन की विपरीत  
कारण पर अंतरा पत्रावली का पत्र की  
जावे / पत्रावली के लिये सुनाय को  
सरका सेवक हो।

उपस्थित

SDO देसरी

उपखण्ड अधिकारी  
देसरी (पाली)



राजस्थान-सरकार

## यालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी लोक अदालत केम्प कोर्ट-सासरी

अधिकारी :- श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.

वाद प्रकरण संख्या : 96 / 2006

तैथि : 06.11.2006

तैथि : 29.05.2017

गबूसिंह पुत्र माधुसिंहजी  
मनोहरसिंह पुत्र माधुसिंहजी  
ममाम जातिगण राजपूत  
नेवासीगण गुडा गोपीनाथ तहसील देसूरी  
पारायण पुत्र सवाजी  
पेला पुत्र सवाजी  
पंकर पुत्र सवाजी  
पुष्पा पुत्र सवाजी  
पंगीलाल पुत्र मानाजी  
पठाराम पुत्र मानाजी वादी संख्या 17 व 18 जअिरये कुदरती वली माता शायरी बेवा मानाजी  
पयरी बेवा मानाजी  
पाराराम पुत्र वेनाजी  
पजूराम पुत्र वेनाजी  
पेश पुत्र वेनाजी  
पनी बेवा वेनाजी जातिगण मेघवाल  
पवासीगण गुडा गोपीनाथ तहसील देसूरी जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

ण :-

प फतेहसिंह पुत्र बहादूरसिंहजी जाति राजपूत के कायम मुकाम वारिसान:-

/1 दलपतसिंह पुत्र फतेहसिंह

/2 भगवतसिंह पुत्र फतेहसिंह

/3 इन्द्रसिंह पुत्र फतेहसिंह

/4 उत्तमसिंह पुत्र फतेहसिंह

/5 श्रवणसिंह पुत्र फतेहसिंह

/6 डूंगरसिंह पुत्र फतेहसिंह

/7 पप्पुसिंह पुत्र फतेहसिंह

/8 रसालकंवर पत्नी फतेहसिंह

/9 गुलाबकंवर पुत्री फतेहसिंह

/10 मूलाकंवर पुत्री फतेहसिंह

/11 श्यामकंवर पुत्री फतेहसिंह जातिगण राजपूत

निवासीगण गुडा गोपीनाथ तहसील देसूरी जिला पाली (राजस्थान)

सीलदार, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार की ओर से)



//2//

जसव वाद संख्या 95/2006 अनवान सुमेरसिंह वगैरा बनाम फतेहसिंह वगैरा  
अंतर्गत धारा 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

: निर्णय :

दिनांक : 29.05.2017

दावा बाबत 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादीगण द्वारा प्रस्तुत पत्रावली न्याय आपके द्वार, 2017 शिविर सांसरी मे पेश हुई। वजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित व प्रतिवादी संख्या-01 उपस्थित। उपस्थित प्रतिवादी 1 गया व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से जाहिर स्त भूमि मौजा गुडा गोपीनाथ के खसरा नंबर 60/349, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 -9 कुल रकबा 6.81 हैक्टर किस्म बारानी दोगम, गै.मु. कुल लगानी 33.75 रुपये वादीगण के संयुक्त सह खातेदारी में दर्ज है। जिसमे वादी संख्या 03 से 06 व 7 से 9 व 10 से 3 हिस्सा, वादी संख्या-01 व 02 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या-01 के कायम मुकाम हिस्सा दर्ज खातेदारी के अनुसार विभाजन की डिक्री चाही है। प्रतिवादीगण ने अपने मुर्व में पक्षकारो द्वारा मौके पर किये विभाजन अनुसार मौका कब्जा अनुसार प्रस्तुत नक्शा के पाजन की डिक्री चाही हैं।

अतः बाद अवलोकन पत्रावली व सुनने उपस्थित पक्षकारान् मौजा गुडा गोपीनाथ के खसरा 49, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 कुल खसरा-9 कुल रकबा 6.81 हैक्टर किस्म बारानी कुल लगानी 33.75 रुपये के संबंध मे रेकर्ड मे दर्ज अनुसार वादी संख्या 03 से 06 व 7 से 13 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या-01 व 02 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या-01 के म का 1/3 हिस्सा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्राथमिक डिक्री आदेश की नदार, देसूरी को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है वह उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण ई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन कर रिपोर्ट इस न्यायालय मे पेश करे। विभाजन मे के हिस्से बंट मे रखी भूमि का पृथक-पृथक ब्यौरा यथा खसरा संख्या, रकबा, किस्म भूमि, दि दर्शाते हुये तथा आवागमन के लिये रास्ता की उपलब्धता रखते हुये मय नजरी नक्शा मे के हिस्से बंट की भूमि को पृथक-पृथक रंगो से दर्शाते हुये रिपोर्ट पेश की जावे। विभाजन 1 होने पर पृथक से ईजराय पत्रावली कायम कर प्रकरण मे नियमानुसार विभाजन की क्री जारी की जावे। मिसल फैसल शुभार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2017 को मजमा-ए-आम मे सुनाया गया।

(राजेश सेवाडा)  
उपखण्ड अधिकारी  
पीदासीन अधिकारी  
देसूरी (पाला)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी  
दिनांक 29.05.2017

म्य कोर्ट/2017/

मेम्नांकित को पालनार्थ :-

सीलदार, देसूरी

वारी हल्का, कोट सोलंकियान

उपखण्ड अधिकारी  
पीदासीन अधिकारी  
देसूरी (पाला)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी  
केम्प-सांसरी

